Order Sheet [Contd.]

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of presiding Officer	Sign of parties or Pleaders wh.nec.

C.I.S. No. ST/17/2022
म.प्र. राज्य वि0 लालचन्द व अन्य
I.A. No. 01/2024

दिनांक– 21.03.2024

आवेदक/अभियुक्त **शैलेन्द्र उर्फ शैलू उर्फ चंदा उर्फ चंदू** की ओर से अधिवक्ता श्री जी.के. बापना उपस्थित।

म.प्र. राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री एच.वी. पाटीदार उपस्थित।

प्रकरण आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय नियमित जमानत आवेदन पत्र आई.ए. नं. 01/2024, अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. पर तर्क हेतु नियत है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि थाना भानपुरा पर दिनांक 12.12.2021 को आवेदक/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध नामजद अपराध क्र. **549/2021,** अंतर्गत धारा 147, 148, 294, 323, 307 व 506 भा.दं.सं.पंजीबद्ध किया गया था, दिनांक 27.12.2021 को आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, विवेचना उपरांत धारा 149, 302, 325 व 427 भा.दं.सं. एवं धारा 25 व 27 आर्म्स एक्ट का ईजाफा करते हुये अभियोग मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उपार्पण पश्चात् अभियोग पत्र दिनाक 29.09.2022 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 19.09.2022 को आरोप विरचित् किये गये हैं, प्रकरण अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर लंबित है।

थाना भानपुरा से आवेदक/अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त, उक्त रिकॉर्ड पर दृष्टिपात करने पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वर्तमान अपराध पंजीबद्ध होने के अतिरिक्त अन्य कोई अपराध पंजीबद्ध होना दर्शित नहीं हो रहा है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से धारा 439 दं.प्र.सं. का यह आवेदन, द्वितीय नियमित जमानत आवेदन पत्र होना और इसके अतिरिक्त अन्य किसी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में कोई जमानत आवेदन न तो प्रस्तुत होना और न ही विचाराधीन होना उल्लेखित करते हुये प्रस्तुत किया गया है, जिसके समर्थन में आवेदक की पत्नी ऋतु शर्मा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त आवेदन पत्र पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए गए।

Order Sheet [Contd.]

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of presiding Officer	Sign of parties or Pleaders wh.nec.

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से आवेदन पत्र के समर्थन में तर्क किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसके विरूद्ध असत्य प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, उसका आरोपित अपराध से कोई सरोकार नहीं है, वह विगत 27 माह से अभिरक्षा में है, उसकी ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2022 को निरस्त किया गया है, जिसके विरूद्ध उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में जमानत आवेदन पत्र एमसीआरसी नं. 48427/2022 प्रस्तुत किया गया था, जिसे उसके द्वारा दिनांक 06.01.2023 को वापस ले लिया गया, उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है, उसके परिवार में वृद्ध व बीमार माता एवं पत्नी है, जो उस पर ही आश्रित हैं, उसके निरोध में आ जाने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वह नवयुवक होकर गांव भैसोदामण्डी का सम्माननीय नागरिक है, प्रकरण में अन्य सहअभियुक्तगण की जमानत हो चुकी है, इस कारण समानता के आधार पर वह जमानत प्राप्त करने का पात्र है, प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत होने से परिस्थितियां बदल चुकी हैं, जिसके अनुसार न तो जप्तशुदा पिस्तौल से फायर किया गया और न ही उससे लगने वाले कारतूस से मृत्यु हुई, उसके पलायन की संभावना नहीं है, अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, प्रकरण में साक्ष्य अंकन नहीं हुआ है, प्रकरण के अंतिम निराकरण में समय लगने की संभावना है, तब तक यदि उसे और निरोध में रखा गया तो उसका यह निरूद्धीकरण प्रकरण में गुण दोषों पर विचार होने के पूर्व ही उसे दण्डस्वरूप होगा, जमानत की दशा में आरोपित शर्त का अक्षरशः पालन करेगा, इन आधारों पर जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने उक्त आवेदन का मौखिक विरोध करते हुये आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन इस आधार पर किया है कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जा चुका है और जिन तथ्यों को आवेदक/अभियुक्त परिस्थितियों में परिवर्तन होना बता रहा है, वह पूर्व से ही मौजूद हैं और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त किये जाने के पश्चात् आवेदक/अभियुक्त समानता के आधार पर जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त शैलेन्द्र ओझा व अन्य सहअभियुक्तगण कालू, किशन, मंगल, राहुल मेहर, गोलू मीणा, कमल

Order Sheet [Contd.]

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of presiding Officer	Sign of parties or Pleaders wh.nec.

व ललित अपने साथियों के साथ एकमत होकर सत्संग कार्यक्रम में आये और वहां मौजूद श्रद्धालुओं को मां, बहन की नंगी नंगी गालियां दीं और मारपीट की, आवेदक/अभियुक्त शैलेन्द्र ओझा ने पिस्तौल से देवीलाल मीणा को गोली मारकर हत्या का प्रयास कारित किया, उपचार के दौरान देवीलाल मीणा की मृत्यु हो जाने से प्रकरण में धारा 302 भा.दं.सं. की वृद्धि की गई, इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मृतक देवीलाल मीणा की हत्या किये जाने का आक्षेप है जो गंभीर प्रकृति का अपराध है, प्रकरण में संलग्न एमसीआरसी क्र. 26852/2022, 21946/2022, 17467/2022, 16424/2022, 21937/2022, 34023/2022, 32636/2022, 32709/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2022, 30.06.2022, 26.07.2022 को दिये गये आदेशों के परिशीलन से प्रकट हो रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण के सहअभियुक्तगण ललित उर्फ लालचंद, कमल, किशन, मंगल उर्फ हेमंत, गोलू उर्फ सतीश, महावीर, मनोज उर्फ कालू व दीपक को जमानत का लाभ दिया गया है परंतु आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध गोली चलाकर मृतक देवीलाल मीणा की हत्या किये जाने का आक्षेप है, अतः आवेदक/अभियुक्त का प्रकरण जमानत का लाभ प्राप्त कर चुके अभियुक्तगण से भिन्न है और वह प्रकरण का मुख्य अभियुक्त है, मात्र एफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने को नवीन परिस्थिति नहीं माना जा सकता, आवेदक/अभियुक्त के अनुसार उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र एमसीआरसी क्र. 48427/2022 दिनांक 06.01.2023 को वापस लिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र पूर्व में निरस्त किया जा चुका है, अतः उपरोक्त समग्र परिस्थितियों एवं न्यायिक अनुशासन के दृष्टिगत आवेदक/अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

परिणामस्वरूप आवेदक/अभियुक्त **शैलेन्द्र उर्फ शैलू उर्फ चंदा उर्फ चंदू** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दप्रस 1973 **निरस्त** किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत् अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 19.04.2024 को पेश हो।

JITENDER KUMAR PARASHAR

Digitally signed by JITENDER KUMAR PARASHAR
Date: 2024.03.21 18:18:08 +0530

हस्ता/–
(जितेन्द्र कुमार पाराशर)
अपर सत्र न्यायाधीश
भानपुरा जिला मंदसौर म.प्र.